अंकुश्री

जल का सदुपयोग और संचयन

जहां जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, वहां इसकी कमी से होने वाली परेशानियों से लोग सही ढंग से अवगत नहीं हो पाते। वैसे लोगों को जल की बर्बादी, जल संचयन, धरती के नीचे स्रोतों का निर्माण, जल बहाव को रोकना, जल के प्राकृतिक स्रोतों पर आयी बाधाओं आदि की जानकारी में न तो रूचि होती है और न वे इसकी जरूरत महसूस करते हैं। बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा भूमिगत जल के अभाव के लिये मनुष्य कितना दोषी है इस ओर सबका ध्यान नहीं जा पाता है।

मीठे जल में बह रही नाव में बैठे व्यक्ति को जल का महत्व नहीं पता चलता है। उसे जब प्यास लगेगी चुल्लू से पानी लेकर अपनी प्यास बुझा लेगा। जल का वास्तविक महत्व गर्मी से बेचैन और प्यास से व्याकुल व्यक्ति को पता होता है। लहलहाती धूप में प्यास से व्याकुल किसी पथिक को अचानक जल का स्रोत दिख जाने पर उसे जो खुशी होती है, उसे वही जानता है। तपती दोपहरी में जल का सिर्फ स्पर्श कर लेने से तन को शीतलता और मन को तृप्ति मिल जाती है। जल पीने के बाद तो लगता है कि उसे नवजीवन मिल गया हो। बिना जल के कुछ घंटे में ही छटपटाहट होने लगती है। बेचैनी इतनी बढ़ जाती है, जैसे प्राण निकल जायेगा।

जहां जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, वहां इसकी कमी से होने वाली परेशानियों से लोग सही ढंग से अवगत नहीं हो पाते। वैसे लोगों को जल की बर्बादी, जल संचयन, धरती के नीचे स्रोतों का निर्माण, जल बहाव को रोकना, जल के प्राकृतिक स्रोतों पर आयी बाधाओं आदि की जानकारी में न तो रूचि होती है और न वे इसकी जरूरत महसूस करते हैं। बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा भूमिगत जल के अभाव के लिये मनुष्य कितना दोषी है इस ओर सबका ध्यान नहीं जा पाता है।

जल की बर्बादी

जल का उपयोग घरों में पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, कपड़ा धोने, बर्तन मांजने, घर-आंगन की लिपाई-धुलाई करने, वाहनों को धोने आदि में किया जाता है। कृषि कार्य पूरी तरह जल पर ही आधारित होता है, क्योंकि बिना सिंचाई के खेती नहीं हो सकती है। कल-कारखानों में भी जल का बहुत उपयोग किया जाता है। इसीलिये अधिकतर उद्योगों की स्थापना नदी के किनारे किये जाने की परंपरा रही है। अस्पतालों में तो बिना जल के काम ही नहीं चल सकता।

किसी वस्तु की बहुलता से उसका महत्व पता नहीं चल पाता है। जल के साथ भी यही स्थिति है। जहां जल की बहुलता होती है, वहां के लोग इसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। वहां इसका उपयोग तो होता ही है, दुरूपयोग भी अधिक होता है। ऐसा देखा जाता है कि जल की कमी नहीं रहने पर इसे बर्बाद करने में संकोच नहीं होता। आवश्यकता से अधिक जल बहा दिया जाता है। सुबह-सुबह ब्रश करने के लिये एक मग जल पर्याप्त है, मगर नल खोल कर ब्रश और जीभी करने से कम से कम छह से आठ मग पानी बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग स्नान करने के लिये बाथरूम जाते हैं तो उसकी सफाई करने लगते हैं। झाड़ू से इस काम को करने पर दो से चार मग में पूरा हो जाता है। मगर ऐसा होता नहीं है। लोग बाल्टी में नल खोल कर बिना झाड़ू के मग से जल डाल-डाल सफाई करने लगते हैं। ऐसे में कई मग देने पर भी बाथरूम का कोई न कोई कोना सफाई से वंचित रह जाता है। मग या बाल्टी भर-भर कर पानी बहा देना सफाई की आदत नहीं, सफाई का मैनिया है। कुछ लोग बाथरूम ही नहीं, कहीं भी साफ-सुथरी जगह को अपने स्तर से फिर से जल गिरा-गिरा कर साफ करने के बाद ही संतुष्ट होते हैं। कुछ महिलाएं ऐसा अधिक करती हैं। जल की व्यवस्था अपने से नहीं करनी हो, टंकी से

आ रहा हो तो उसकी बर्बादी अधिक होती है। ऐसा देखा जाता है कि मकान मालकिन की तुलना में किरायेदारिन द्वारा अधिक जल बर्बाद किया जाता है।

कुछ लोगों को दादी-नानी द्वारा कही हुई बातें शायद याद हों। वे कहा करती थी कि जल बर्बाद करने वाली बहुओं का हाथ खाली रहता है। उनके इस कथन में कितना दम था, इस तथ्य को आज भी आंका-परखा जा सकता है। अपने घर, रिश्ते और मुहल्ले में जल की बर्बादी वाले परिवारों और जल बचा-बचा कर खर्च करने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति की तुलना बहुत आसानी से की जा सकती है। जल शक्ति जन शक्ति तो है ही, धन शक्ति भी है।

जल के लिये हाहाकार

हमारे यहां कई जगहें ऐसी हैं, जहां जल की कमी से लोग परेशान रहते हैं। बड़े-बड़े नगरों और महानगरों की बात कौन कहे, गांवों में भी जल के अभाव से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। गांव की आबादी कम होती है और सभी लोगों की जिंदगी समय से बहुत बंधी नहीं होती। मगर नगरों और महानगरों में जल की कमी होने पर जनजीवन पूरी तरह बाधित हो जाता है। वहां प्रशासन को काफी मशक्कत से जलापूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बावजूद लोगों को जल की परेशानी हो जाती है और वे निजी व्यवस्था द्वारा जल क्रय करके अपना काम चलाते हैं।

ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहां प्राकृतिक रूप से जल की व्यवस्था नहीं है और पाइप लाइन से हर जगह जलापूर्ति संभव नहीं है। एक बात गांठ बांधने वाली है कि पैसे से हर सुख नहीं खरीदा जा सकता। अभावग्रस्त क्षेत्र में जल क्रय कर अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती। आर्थिक रूप से मजबूत लोग जल के अभावग्रस्त क्षेत्र में रहना नहीं चाहेंगे। विपन्न लोगों की स्थान परिवर्तन की क्षमता नहीं होती, मगर बहुत परेशानी होने पर वे भी पलायन कर जाते हैं। अर्थात् जल की कमी वाले क्षेत्र में रहना दूभर हो जाने से धीरे-धीरे वह इलाका विरान हो जाता है।

शहरी जीवन में जल का मुख्य उपयोग पीने, भोजन बनाने और स्नान-सफाई तक ही सीमित है। मगर ग्रामीण जीवन में इनके अतिरिक्त जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्य में होता है। खेती सिंचाई पर निर्भर करती है। अच्छी सिचांई से फसल अच्छी होती है। कृषि का ही अंग है पशुपालन। गाय, भैंस, बैल, कारा, बकरी, भेड़ आदि पालने के लिये भी जल की पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है।

प्राकृतिक जल स्रोत

नदी, नाला, तालाब, झरना, झील, चुआं आदि हमारे प्राकृति जल स्रोत हैं। बस्ती वाले लोग जल के लिये गांव में और रास्ते के किनारे कुंआ खोदवा लेते हैं। कुछ तालाब प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जिसे गांव वाले विकसित कर लेते हैं। कुछ लोग नये तालाब का भी निर्माण करवाते हैं। बरसात में इन सारे स्रोतों में जल भर जाता है। जिस साल बारिश कम होती है, उस साल इन स्रोतों में जल संचयन कम होता है और लोगों को अधिक पेरशान होना पड़ता है।

आबादी वहीं बसती है, जहां जल की व्यवस्था हो। मगर आबादी वाले ऐसे अनेक इलाके हैं, जहां बाद में प्राकृतिक जल स्रोतों में जल का अभाव हो गया। वहां बरसात में थोड़ा जल मिल जाता है, मगर वर्षा के थमते ही जल स्रोत सूख जाते हैं और लोगों में हाहाकार मच जाता है। इससे लोगों का जीना दूभर हो जाता है।

नदी-नालों का अतिक्रमण

कुछ शहरों से होकर नदियां बहती हैं। पठारी क्षेत्रों में तो एक ही शहर में कई नदियां बहती हैं। मैदानी क्षेत्रों में नदी के किनारे शहर बसा होता है। इन नदियों का अतिक्रमण बहुत तेजी से हुआ है। गृह निर्माण के समय नदी क्षेत्र को अतिक्रमित कर लिया जाता है। पहले लोग उसका घेरान करते हैं और बाद में उस पर निर्माण कर देते हैं। शहर से गुजरने वाली शायद ही कोई नदी इस अभिशाप से मुक्त हो। कहीं-कहीं नदियां इतनी अधिक अतिक्रमित हो गयी हैं कि वह नालों का रूप ले लेती हैं। अतिक्रमित नदियों में जल की धारा कम हो जाती है, जिससे बरसात के बाद उसका जल काला दिखने लगता है। इसके साथ एक कड़वा तथ्य यह भी है कि नदी को अतिक्रमित कर बनाये गये

नदी, नाला, तालाब, झरना, झील, चुआं आदि हमारे प्राकृति जल स्रोत हैं। बस्ती वाले लोग जल के लिये गांव में और रास्ते के किनारे कुंआ खोदवा लेते हैं। कुछ तालाब प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जिसे गांव वाले विकसित कर लेते हैं। कुछ लोग नये तालाब का भी निर्माण करवाते हैं। बरसात में इन सारे स्रोतों में जल भर जाता है। जिस साल बारिश कम होती है, उस साल इन स्रोतों में जल संचयन कम होता है और लोगों को अधिक पेरशान होना पड़ता है।

जिस साल बारिश कम होती है उस साल तालाबो में जल संचयन भी कम होता है

घरों का जल हो या मल सारा उच्छीष्ट उसी में बहा दिया जाता है, क्योंकि ऐसे अधिकतर घरों में शौचालय का सेप्टिक टैंक नहीं बना होता।

नदियों का अतिक्रमण सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की नदियों और नालों का भी धड़ल्ले से अतिक्रमण होता है। वहां गृह आदि निर्माण के साथ ही नदी की जमीन पर खेती कर ली जाती है।

तालाबों और झीलों का समतलीकरण

प्राचीन बस्तियों में, चाहे वह शहर की हों या गांव की, तालाब का निर्माण अवश्य किया जाता था। आजादी के बाद शहरीकरण काफी तेजी से बढ़ा है। इसके लिये सैकड़ों तालाबों को भर कर समतल कर दिया गया। शहर की झीलों के किनारे की भूमि का धड़ल्ले से अतिक्रमण हुआ। जमीन हड़पने की भूख ने ग्रामीण तालाबों को भी नहीं छोड़ा। गांव में भी अधिकतर तालाबों को समतल कर उस पर खेती की जाने लगी है।

नदी-नालों और तालाब-झीलों के अतिक्रमण का काम छिप-छिपा कर या रातों-रात नहीं हुआ है। यह एक सतत प्रक्रिया की देन है, जो अबाध ढंग से चली आ रही है। इसमें सिर्फ भू-माफियाओं का हाथ नहीं है। शहर या गांव के गरीब और कमजोर लोग भी इस काम को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं। अतिक्रमण करने वालों को कहीं-कहीं नोटिस दिया जाता है कि उसे वे खाली कर दें। मगर अफसोस है कि नोटिस के आगे की कार्रवाई बहुत कम हो पाती है, नहीं के बराबर। इसका परिणाम है कि ऐसा अतिक्रमण खुलेआम बरकरार है। इससे लोगों का मनोबल बढ़ता है और प्राकृतिक स्रोतों का जल घटता है।

कहीं बाढ़, कहीं सुखाड़

जल की कमी से होने वाली परेशानियों से सभी अवगत हैं। मगर जल की अधिकता भी कम घातक नहीं होती। प्रकृति की लीला अपरम्पार है। बरसात में कहीं इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। इससे जल का प्रवाह बढ़ जाता है। जल का बढ़ा हुआ प्रवाह सारी मर्यादाओं को लांघ जाता है। जल प्रवाह में घर-बार, खेत-खलिहान टूट-बह जाता है। तेज जल प्रवाह में छोटी-छोटी झोपड़ियों की कौन कहे, बड़ी-बड़ी इमारतें बह जाती हैं। विनाशकारी बाढ़ की धार में बड़े-बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं और सड़क पर खड़े हुए बड़े-बड़े वाहन बह जाते हैं। माल की क्षति होती ही है, अनेक जानें भी चली जाती हैं। बाढ़ की ऐसी विनाश लीला के विरूद्ध कोई कुछ नहीं कर पाता, केवल मूक दर्शक बन कर रह जाता है।

प्रकृति की विनाश लीला बड़ी हो या छोटी, उसमें कुछ अंश तक मानव भी दोषी है। इसमें सबसे बड़ा दोष है जल मार्गों में अवरोध खड़ा करना। बांध, पुल-पुलिया, टनल, जल-विद्युत परियोजना, इमारत आदि के निर्माण से जल प्रवाह का प्राकृतिक मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक व्यवस्था हजारों वर्षों से चली आ रही है, जबकि मानव अपनी सीमित आयु तक ही उसे देख पाता है। इसलिये कुछ वर्षों के बाद मानव निर्मित व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था के आगे हार जाती है। वस्तुतः अधिकतर विनाशकारी बाढ़ ऐसे ही अदूरदर्शी निर्माणों की देन हैं।

बात सिर्फ बाढ़ की नहीं, सुखाड़ की भी है। अधिकतर क्षेत्रों में स्थिति ऐसी हो गयी है कि बाढ़ का पानी निकलने के कुछ महीने बाद ही कुछ इलाकों में सुखाड़ आ जाता है। नदी-नालों और तालाब-झीलों के अतिक्रमित हो जाने से उसकी जल-धारक क्षमता कम हो जाती है। बरसात खत्म होते न होते, उन जल स्रोतों का पानी खत्म होने लगता है और कई इलाकों में सुखाड़ तक पड़ जाता है।

जल स्रोतों का रखरखाव

जल स्रोत के जो भी साधन हैं, उनका रख-रखाव बहुत आवश्यक है। इसके लिये नदी, तालाब, कुंआ आदि की स्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। यह काम नदी के पेट की सफाई और तालाब तथा कुंआ और चुंआ की खुदाई कर पूरा किया जा सकता है। शहर में यह काम प्रशासन का है, मगर गांव में इस काम के लिये ग्रामीणों की रूचि आवश्यक है।

जल स्रोत के जो भी साधन हैं, उनका रख-रखाव बहुत आवश्यक है। इसके लिये नदी, तालाब, कुंआ आदि की स्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। यह काम नदी के पेट की सफाई और तालाब तथा कुंआ और चुंआ की खुदाई कर पूरा किया जा सकता है। शहर में यह काम प्रशासन का है, मगर गांव में इस काम के लिये ग्रामीणों की रूचि आवश्यक है।

विनाशकारी बाढ़ से जान-माल की भारी क्षति होती है।

बांध और ट्रेंच का निर्माण

पठारी क्षेत्रों में अनेक छोटी-पतली नदियां बहती हैं, जिनमें से कुछ नाला जैसी दिखती हैं। वे ऊंचाई से नीचे की ओर बहती हैं। इसलिये बरसात का अधिकतर पानी बह कर नीचे चला जाता है। इसलिये ऐसे नदी-नालों में कुछ-कुछ दूरी पर कम ऊंचाई का बांध बनाना जल का प्रवाह रोकने और संचयन के लिये आवश्यक है। पठारी क्षेत्रों में ट्रेंच का निर्माण भूमिगत जल संचयन के लिये बहुत उपयोगी होता है। ट्रेंच 4 फीट गहरा होता है, जिसकी चौड़ाई जमीन की सतह पर 6 फीट और नीचे 4 फीट होती है। इसकी लंबाई 4-6 फीट या स्थान के अनुसार उससे अधिक भी हो सकती है। ट्रेंच निर्माण पहाड़ और वन क्षेत्रों में अधिक होता है। इससे वनों की सिंचाई भी हो जाती है।

हजारीबाग (झारखंड) के ईचाक प्रखंड के 35 गांवों के लोगों ने 440 हेक्टेयर भूमि में ट्रेंच बनाकर 440 करोड़ लीटर जल बचा कर उसे 52 तालाबों में पहुंचा दिया। उसके बाद कोडरमा, चतरा और खूंटी में भी यह अभियान चलाया जा रहा है। जल संरक्षण की यह कार्यवाही उल्लेखनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है।

बरसाती जल का संचयन

बरसात के मौसम में बारिश के जल पर लोग कई तरह से निर्भर रहते हैं। बारिश के जल से सिंचाई तो होती ही है, जल स्रोतों में जल का संचयन भी हो जाता है। संचित जल बरसात का मौसम बीत जाने के बाद काम आता है। बरसाती जल का संचयन खुले जल स्रोतों और भूमिगत जल स्रोतों में किया जाता है। जिस बरसाती जल का संचयन नहीं हो पाता है, वह बह-बह कर निकटवर्ती नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। बरसाती मीठे जल के समुद्र में चले जाने से उसका बहुआयामी उपयोग नहीं हो पाता। इसलिये यह आवश्यक है कि बरसाती जल का अधिकाधिक संचयन कर उसका बहुआयामी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

नदी, नाला, तालाब, झील, कुंआ आदि में बरसाती जल का संचयन होता है। मगर इसके लिये यह आवश्यक है कि इन जल स्रोतों की संचयन क्षमता अच्छी तरह बनाये रखी जाये। इसके लिये नदी, तालाब और झील का पेट खाली रहना जरूरी है। इन स्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त रहना चाहिये, ताकि ये अपनी पूरी क्षमता से जल संचयन कर सकें। कुछ कुंओं को पत्ता आदि कचरा से बचाने के लिये आधा या पूरा ढक कर रखा जाता है। यह बिल्कुल गलत है। यदि आवश्यक हो तो जालीदार ढक्कन का उपयोग किया जा सकता है। इससे बरसात में उसमें जल संचयन में आसानी होगी। जल स्रोतों को कचरा से मुक्त रखना बहुत जरूरी है।

शहरों में नित्य नई-नई इमारतें बनती जा रही हैं। जितनी ऊंची इमारतें, उतनी मोटी बोरिंग। इन इमारतों में जल की निकासी और उसकी खपत तो तेजी से होती है, मगर भूमिगत जल के संचयन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। अभी प्रशासनिक बंदिशों के कारण बहुमंजिली इमारतों में बरसाती जल के संचयन की व्यवस्था होने लगी है। मगर उसमें और अधिक सुधार की गुंजाइश इसलिये है कि खपत के अनुपात में संचयन नहीं किया जा रहा है। इमारत के नीचे जल संचयन का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। उसके मार्ग के नीचे भी गहरा गड्ढा करके जल संचयन किया जा सकता है। जल संचयन के लिये बनाये गये सभी गड्ढों को पक्का नहीं कर, किनारे वाले गड्ढों की बाहरी दीवारें जालीदार बनानी चाहिये, ताकि उसके माध्यम से भूमिगत जल भंडार का पोषण हो सके। एक मंजिला या दो मंजिला घरों में भी यह व्यवस्था की जानी चाहिये साथ ही अहाते के अंदर की खाली जगह के नीचे कच्चा सोख्ता का निर्माण भी आवश्यक है, जिसमें घर से निकले दैनिक जल को बहाया जा सके।

नदी, नाला, तालाब, झील, कुआं आदि में बरसाती जल का संचयन होता है।

सार्वजनिक हित की सोच

सुनने में अजीब-सा लगेगा, मगर बात में सच्चाई है कि आम लोग सिर्फ अपने लिये जीने लगे हैं। अमीर-गरीब, शिक्षित-अशिक्षित, ऊंचा-नीचा आदि कई तरह के लोग समाज में रहते हैं। उनकी क्षमता अलग है, उनकी सोच अलग है। मगर हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सिर्फ अपने लिये ही नहीं जीते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। अगर सच कहा जाये तो ऐसे ही लोगों से सामाजिकता टिकी हुई है, समाज टिका हुआ है। ऐसे लोग समाज के हित की बात सोचते हैं और उसी क्रम में वन, वन्यप्राणी, पर्यावरण, वायु, जल आदि के संरक्षण की दिशा में कुछ न कुछ करते रहते हैं। सभी का यह कर्तव्य है कि वे निजी हित के साथ ही सार्वजनिक हित के बारे में भी सोचें। बहुत नहीं तो थोड़ा ही सही, मगर सोचें जरूर।

जल संचयन हमारे पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा है। हम सभी पर्यावरण की इकाई हैं। इसलिये हमारा यह कर्तव्य है कि हम भी पर्यावरण हित में जल संचयन को बढ़ावा दें और आने वाली पीढ़ी द्वारा पूर्वजों को धिक्कारने से बचाये रख सकें।

संपर्क करें:
अंकुश्री
8, प्रेस कॉलोनी, सिदरौली,
नामकुम, रांची (झारखण्ड)-834 010
मो. 8809972549
ईमेलः
ankushreehindiwriter@gmail.com